

Part-V

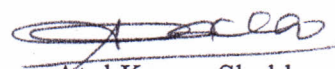
(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of an under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	आवेदनकर्ता, कार्यपालन यंत्री, अति उच्च दाब (निर्माण) छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मार्यादित भिलाई जिला दुर्ग को कांकेर जिले के अंतर्गत 132 के. व्ही.डी.सी.एस.एस. भानुप्रतापपुर-पखांजुर पारेषण लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा उनके पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-136/1014 दिनांक 28.04.2016 में की गई अनुशंसा के आधार पर पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल का 35.07 हे. एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर वन मंडल का 2.849 हे. कुल 37.919 हे. वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा संबंधी भाग 5 पूर्व में प्रदाय किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा उनके पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-144/2805 दिनांक 23.11.2016 में उपरोक्त आवेदित क्षेत्र को संशोधित कर 40.462 हे. की गई है। भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर के पत्र क्रमांक FC-II/CH-38/2016-NGP/1078 दिनांक 21.11.2016 के बिन्दु क्रमांक 3 में प्रकरण में राज्य शासन से संशोधित भाग 5 वांछित है, जिसके तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा उनके पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-144/2805 दिनांक 23.11.2016 में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, कार्यपालन यंत्री, अति उच्च दाब (निर्माण) छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मार्यादित भिलाई जिला दुर्ग को कांकेर जिले के अंतर्गत 132 के. व्ही.डी.सी.एस.एस. भानुप्रतापपुर-पखांजुर पारेषण लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर वन मंडल के कुल 40.462 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Date : 26 -11-2016

Place : Raipur

Signature

Name - 
 Designation - Secretary,
 C.G. Govt.,
 Forest Department